राजन गुप्ता, न्यायमूर्ति और मंजरी नेहरू कौल, न्यायमूर्ति के समक्ष

वीरेंदर जैन - अपीलार्थी

बनाम

योगिता जैन - उत्तरदाता

एफ.ए.ओ.-एम. No. 2008 का 31

22 नवंबर, 2019

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955-धारा 13-क्रूरता के आधार पर पति की तलाक याचिका-निचली अदालत द्वारा खारिज कर दी गयी - 04.11.2003 को विवाह संपन्न हुआ -नाबालिग बेटा पति की अभिरक्षा में - लगभग पंद्रह वर्षों से अलग रहने वाले पक्ष - मध्यस्थता विफल रही -अभिलेख पर साक्ष्य और पक्षों के साथ अदालत की बातचीत से स्पष्ट हो गया कि पक्षों के एक साथ रहने की कोई उम्मीद नहीं है-विवाह कटुता में डूबा हुआ है-आयोजित, यह मानना गलत नहीं है कि विवाह मरम्मत से परे टूट गया था - स्थायी गुजारा भत्ता के भुगतान पर तलाक और पत्नी को अपने नाबालिग बेटे से मिलने का अधिकार दिया गया।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि साक्ष्य के साथ-साथ अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री के अवलोकन और पक्षों के साथ हमारी बातचीत से यह बहुत स्पष्ट है कि दोनों पक्षों द्वारा अपने वैवाहिक जीवन को जारी रखने के लिए एक साथ रहने की कोई उम्मीद नहीं है जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है।

(पैरा 9)

आगे कहा गया है कि साक्ष्य और परिस्थितियों से पता चलता है कि पक्षों के बीच विवाह कड़वाहट में डूबा हुआ था जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी पत्नी रोहतक में अपने माता-पिता के घर में रह रही थी। यह निर्विवाद है कि दोनों पक्ष लगभग 15 वर्षों से अलग रह रहे हैं।यह मान लेना गलत नहीं होगा कि दोनों पक्षों के बीच विवाह मुरम्मत से परे टूट गया है। हम महसूस करते हैं कि यदि पक्षों के बीच सुलह करने के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं, जैसे कि तत्काल मामले में, तो तलाक को नहीं रोका जाना चाहिए। मौजूदा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, दोनों पक्षों के बीच सुलह होने और एक साथ रहने की उम्मीद करना अवास्तविक होगा।

(पैरा 10)

आगे अभिनिर्धारित किया कि उपरोक्त की अगली कड़ी के रूप में, हमें नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 13.12.2007 को रद्द करने में कोई संकोच नहीं है। नतीजतन, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है और पक्षों के बीच विवाह तलाक की डिक्री के माध्यम से भंग हो जाता है। तदनुसार डिक्री पत्र तैयार की जाए। हालाँकि, अपीलार्थी-पति दिनांकित 07.11.2019 के शपथ पत्र में परिकल्पित नियमों और शर्तों से बाध्य होगा, जो पहले से ही रिकॉर्ड में दर्ज है। अपीलार्थी-पति को आदेश की तारीख से एक महीने के

भीतर पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए प्रतिवादी-पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में Rs.25 लाख की राशि का भुगतान करना होगा। प्रत्यर्थी-पत्नी को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार अपने नाबालिग बेटे से मिलने का अधिकार मिलेगाः

1. प्रत्यर्थी-पत्नी हर महीने के हर दूसरे और चौथे शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, रोहतक में नाबालिग बेटे से मिलेगी।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि बच्चा उपरोक्त दिनों में माँ से मिलने में असमर्थ है, तो बेटे को अगले शनिवार को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, रोहतक में सुबह 11.00 से दोपहर 2 बजे तक माँ से मिलने के लिए ले जाया जाएगा।

3. सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, रोहतक व्यक्तिगत रूप से ऐसी सभी बैठकों की निगरानी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिवादी-माँ और नाबालिग बेटे के बीच बैठकों के दौरान कोई अन्य व्यक्ति/परिवार का सदस्य उपस्थित न हो और अपीलकर्ता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई बाधा पैदा न हो।

(पैरा 12)

अक्षय जिंदल, अधिवक्ता
अपीलार्थी के लिए।

मृगांक शर्मा, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से ।

मंजरी नेहरू कौल, न्यायमूर्ति (मौखिक)

(1) अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सोनीपत द्वारा पारित फैसले और डिक्री दिनांक 13.12.2007 के खिलाफ पति-विरेंद्र जैन द्वारा तत्काल अपील दायर की गई है, जिसके तहत हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 13 के तहत उनके द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

(2) तत्काल अपील के निर्णय के लिए आवश्यक कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है जैसा कि अपीलार्थी-पति द्वारा नीचे दिए गए न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में कहा गया है।

(3) दोनों पक्षों के बीच विवाह 04.11.2003 को गोहाना में हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार संपन्न हुआ था। उक्त विवाह से 05.08.2004 को एक पुत्र का जन्म हुआ था, जो अपीलार्थी-पति की देखभाल और अभिरक्षा में है। अपीलार्थी-पति ने दलील दी कि उत्तरदाता-पत्नी का व्यवहार उनकी शादी की शुरुआत से ही उनके प्रति अशोभनीय था, जिससे उन्हें और उनके परिवार को बहुत परेशानी हुई। विवाह के तुरंत बाद, अपीलार्थी-पति को प्रत्यर्थी-पत्नी ने बताया कि विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया था क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती थी। वह अक्सर अपीलार्थी-पति को धमकी देती थी कि अगर वह उसे छूने की कोशिश भी

करता है, तो वह अपना जीवन समाप्त कर लेगी। हालाँकि, अपीलार्थी-पति ने यह सब इस उम्मीद में बर्दाश्त किया कि उसके व्यवहार में सुधार होगा, लेकिन समय बीतने के साथ यह केवल बिगड़ता गया। कई पंचायतें बुलाई गईं जिनमें प्रतिवादी-पत्नी के पिता द्वारा आश्वासन दिया गया कि वह भविष्य में दुर्व्यवहार नहीं करेगी। आश्वासन दिए जाने पर, अपीलकर्ता-पति प्रत्यर्थी-पत्नी को 24.05.2004 पर वापस वैवाहिक घर ले गया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि प्रत्यर्थी-पत्नी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि उसने सभी के प्रति अपना अशिष्ट व्यवहार जारी रखा। अंततः, 08.07.2004 को, प्रतिवादी-पत्नी ने अपीलार्थी-पति को उसे उसके माता-पिता के घर वापस भेजने के लिए मजबूर किया। जाते समय वह अपने सभी गहने और कीमती सामान भी साथ ले गई। तब से वह रोहतक में अपने मायके में रह रही थी। 05.08.2004 पर, उसने मायके में रहते हुए अपने बेटे को जन्म दिया। अपीलार्थी-पति को उम्मीद थी कि उनके बेटे के जन्म से प्रतिवादी-पत्नी के व्यवहार में कुछ बदलाव लाने में मदद मिलेगी, लेकिन प्रतिवादी-पत्नी ने कोई आपत्ति नहीं जताई कि उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध बच्चे को जन्म दिया था। अपीलार्थी-पति को बच्चे को ले जाने के लिए कहा गया था क्योंकि वह उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। अपीलार्थी-पति ने प्रस्तुत किया कि 25.09.2005 पर दोनों पक्षों के बीच एक समझौता किया गया था जिसमें प्रतिवादी-पत्नी ने अपनी गलती स्वीकार की और अपीलार्थी-पति से तलाक लेने के लिए सहमत हो गई। इतना ही नहीं, प्रत्यर्थी-पत्नी ने अपीलार्थी-पति से एकमुश्त राशि प्राप्त की और बेटे की अभिरक्षा अपीलार्थी-पति को दे दी। उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, अपीलकर्ता-पति ने दलील दी कि दोनों पक्षों के लिए एक साथ रहना असंभव था क्योंकि प्रतिवादी-पत्नी ने उसके साथ अत्यधिक क्रूरता का व्यवहार किया था, जिसे माफ नहीं किया जा सकता था।

(4) इसके विपरीत, प्रतिवादी-पत्नी ने निचली अदालत में दायर अपने लिखित बयान में, अपीलार्थी-पति के आरोपों का खंडन किया और स्पष्ट रूप से इनकार किया। उसने प्रस्तुत किया कि वास्तव में यह अपीलकर्ता-पति और उसका परिवार था, जो शादी की शुरुआत से ही उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। वे बार-बार उसे अपर्याप्त दहेज लाने के लिए ताना मारते थे, जिसके परिणामस्वरूप समाज में उनकी प्रतिष्ठा खराब हो गयी थी।उसे अपनी सास से डांट और ताने सुनने पड़ते थे कि माँ न होने के कारण वह घर के बुनियादी काम भी नहीं जानती। उसने प्रस्तुत किया कि उसने हमेशा वैवाहिक घर में समायोजन करने की कोशिश की थी और कभी भी अपीलार्थी-पति को यह नहीं बताया था कि शादी उसकी इच्छा के खिलाफ की गई थी। उसने आरोप लगाया कि वास्तव में यह अपीलकर्ता-पति था, जिसने उनकी शादी के एक सप्ताह बाद ही उसे बताया कि वह उसे पसंद नहीं करता था और उसे अपनी पत्नी के रूप में रखने के लिए मजबूर किया गया था। अक्सर उसकी सास द्वारा उसके साथ मारपीट की जाती थी। उसने स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया कि उसने कभी भी अपीलार्थी-पति को धमकी दी थी कि अगर उसने कभी उसे छूने की कोशिश की तो वह आत्महत्या कर लेगी। चूंकि वह अपीलार्थी-पति और उसकी माँ द्वारा उठाई गई नकदी की मांगों को पूरा करने में असमर्थ थी, इसलिए उसे गर्भावस्था के दौरान बेरहमी से पीटा गया और उसके बाद उसके ससुर ने रोहतक में उसके माता-पिता के घर पर छोड़ दिया, जहां वह तब से रह रही थी। उनके बेटे के जन्म के बाद, यह उसके पिता थे, जिन्होंने अपीलार्थी-पति और उसके परिवार को सूचित किया, लेकिन कोई भी नवजात बच्चे को देखने नहीं आया। उसके

पिता ने पंचायतों को बुलाकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन अपीलकर्ता-पति और उसके पिता अड़े रहे और उसे और उसके पिता को वैवाहिक घर लौटने से मना करके अपमानित किया। उसने प्रस्तुत किया कि 21.01.2006 को वह अपने नवजात बेटे के साथ वैवाहिक घर गई थी, लेकिन उसे घर में प्रवेश करने नही दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसके पास ओम प्रकाश नामक एक रिश्तेदार के घर पर रात बिताने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। इसके बाद, ओम प्रकाश ने अपीलार्थी-पति के चाचा राम कुमार को बुलाया, जो अगली सुबह उसे और नवजात बच्चे को वैवाहिक घर ले गए, लेकिन अपीलार्थी-पति और उसकी माँ ने उन्हें घर में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। उसके द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी-पति और उसके परिवार ने खाली कागजों पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए थे और फिर उसे वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन उसकी सहमति के बिना उसके बेटे को अपने साथ रखा। इस प्रकार, उन्होंने अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना की।

(5) अपीलार्थी-पति द्वारा एक प्रत्युत्तर भी दायर किया गया था जिसमें उन्होंने अपने मामले को दोहराया और प्रत्यर्थी-पत्नी की दलीलों का खंडन किया।

(6) दलीलों से, निचली अदालत द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थेः

1. क्या याचिकाकर्ता याचिका में बताए गए आधारों पर तलाक की डिक्री का हकदार है? ओपीपी
2. राहत मिलती है।

(7) अपने मामले का समर्थन करने के लिए, अपीलार्थी-पति ने पीडब्लू-3 के रूप में गवाह बॉक्स में कदम रखा। उन्होंने अपने अलावा तीन अन्य गवाहों से पूछताछ की। दूसरी ओर, प्रतिवादी-पत्नी ने आर.डब्ल्यू.-1 के रूप में गवाह बॉक्स में कदम रखा। उन्होंने अपने पिता हुकुम चंद से आर. डब्ल्यू.-2 और हरि प्रकाश से आर. डब्ल्यू.-3 के रूप में भी पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि प्रतिवादी-पत्नी और उसके पिता के हस्ताक्षर के साथ-साथ अपीलकर्ता-पति और उसके पिता के हस्ताक्षर खाली कागजों पर प्राप्त किए गए थे।

(8) हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और अन्य सामग्री का पुनर्मूल्यांकन किया है।

(9) अपील के लंबित रहने के दौरान, मामले को सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावना तलाशने के लिए इस अदालत के मध्यस्थता और सुलह केंद्र में भेजा गया था, लेकिन मामले को सुलझा लेने के सभी प्रयास बुरी तरह विफल रहे। इस न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पक्षों के साथ बातचीत भी की। अपीलार्थी-पति अड़े रहे और उन्होंने प्रतिवादी-पत्नी के खिलाफ अपने आरोपों को दोहराया। प्रतिवादी-पत्नी, जो अदालत में मौजूद थी, ने कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि अपीलकर्ता-पति और उसके परिवार द्वारा उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था, वह अभी भी अपने वैवाहिक घर लौटने के लिए तैयार थी। उसने कहा कि वह अपने बेटे से मिलने के लिए तरस रही थी, जिसे जबरन उससे दूर रखा गया है; इतना ही नहीं, जब भी उसने वैवाहिक घर लौटने या अपने बच्चे से मिलने का प्रयास किया, तो उसे अपीलार्थी-पति और उसके परिवार द्वारा गंभीर परिणाम भुगतने

की धमकी दी जाती थी।

(10) साक्ष्य के साथ-साथ अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री और पक्षों के साथ हमारी बातचीत के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि पार्टियों के साथ रहने की कोई उम्मीद नहीं है कि वे अपने वैवाहिक जीवन को जारी रखेंगे जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है।

(11) साक्ष्य और परिस्थितियों से पता चलता है कि पक्षों के बीच विवाह कड़वाहट में डूबा हुआ था जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी-पत्नी रोहतक में अपने माता-पिता के घर में रह रही थी। यह निर्विवाद है कि दोनों पक्ष लगभग 15 वर्षों से अलग रह रहे हैं। यह मान लेना गलत नहीं होगा कि दोनों पक्षों के बीच विवाह मुरम्मत से परे टूट गया है। हम महसूस करते हैं कि यदि पक्षों के बीच सुलह करने के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं, जैसे कि तत्काल मामले में, तो तलाक को नहीं रोका जाना चाहिए। तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पक्षों से सुलह करने और एक साथ रहने की उम्मीद करना अवास्तविक होगा।

(12) हालाँकि, सुनवाई के दौरान, अपीलार्थी-पति ने एक प्रस्ताव रखा कि तत्काल अपील की अनुमति दिए जाने की स्थिति में, वह पुरे स्थायी गुजारा भत्ते और अंतिम समझौते के रूप में 22.00 लाख रूपये की उचित राशि का भुगतान करने के लिए तैयार था। हमारी बातचीत के दौरान प्रतिवादी-पत्नी ने पुरजोर आग्रह किया कि अगर शादी टूट जाती है, तो उसे स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में एक उचित राशि दी जाए क्योंकि उसके पास पीछे सहारा देने वाला कोई नहीं था और वह अपने बीमार पिता की दया पर रह रही थी। उसने यह भी दृढ़ता से अनुरोध किया कि उसे अपने बेटे से मिलने की अनुमति दी जा सकती है, जिसे जानबूझकर उससे दूर रखा गया था और बेटे से मिलने के लिए उसके द्वारा किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हो गये थे क्योंकि अपीलकर्ता-पति और उसका परिवार उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहा था।

(13) उपरोक्त की अगली कड़ी के रूप में, हमें निम्न न्यायालय द्वारा पारित 13.12.2007 दिनांकित निर्णय और डिक्री को रद्द करने में कोई संकोच नहीं है। नतीजतन, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है और पक्षों के बीच विवाह तलाक की डिक्री के माध्यम से भंग हो जाता है। तदनुसार डिक्री शीट तैयार की जाए। तथापि, अपीलार्थी-पति दिनांकित 07.11.2019 के शपथपत्र में परिकल्पित नियमों और शर्तों से बाध्य होगा, जो पहले से ही अभिलेख में लिया गया है। अपीलार्थी-पति आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए प्रतिवादी-पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में Rs.25 लाख की राशि का भुगतान करेगा। प्रत्यर्थी-पत्नी को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार अपने नाबालिग बेटे से मिलने का अधिकार मिलेगाः

1. प्रत्यर्थी-पत्नी हर महीने के हर दूसरे और चौथे शनिवार को सुबह 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, रोहतक में नाबालिग बेटे से मिलती थी।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि बच्चा उपरोक्त दिनों में माँ से मिलने में असमर्थ है, तो बेटे को अगले शनिवार को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, रोहतक में सुबह 11.00 से दोपहर 2 बजे तक माँ से मिलने के लिए ले जाया जाएगा।

3. सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, रोहतक व्यक्तिगत रूप से ऐसी सभी बैठकों की निगरानी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिवादी-माँ और नाबालिग बेटे के बीच बैठकों के दौरान कोई अन्य व्यक्ति/परिवार का सदस्य उपस्थित न हो और अपीलकर्ता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई बाधा उत्पन्न नही की जाएगी।

(14) हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि अपीलकर्ता-पिता को एहसास होगा कि नाबालिग बेटे को उसकी माँ के प्यार और स्नेह से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो उसे देखने और उससे मिलने के लिए तरस रही है। यह आशा की जाती है कि दोनों पक्षों के बीच जो कड़वाहट है, वह किसी बाधा का कारण नहीं बनेगी। नाबालिग बेटे के लिए अपनी माँ के साथ बातचीत करना फायदेमंद होगा क्योंकि यह उसके सम्पूर्ण और स्वस्थ विकास में योगदान देगा।

त्रिभुवन दहिया

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

गौरव बंसल
अनुवादी